

New Delhi, Dated: - 12.09.2025

OFFICE MEMORANDUM

विषय:- SSC द्वारा परीक्षा के अतिरिक्त परिणाम के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को वरिष्ठता और वेतन का निर्धारण और ऐसे मामलों में जहां आयकर विभाग में नियुक्ति में देरी के लिए कर्मचारी /उम्मीदवार जिम्मेदार नहीं है।

Sub: - Fixation of Seniority and Pay to the candidates appointed subsequent to declaration of additional result by SSC for Examination and other similar instances where delay in joining the Income Tax Department is not attributable to the official/candidate- reg.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने उन संबंधित कर्मचारियों/उम्मीदवारों को काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिनके परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रोके गए थे और बाद में जारी किए गए, जिससे विभाग में उनकी वरिष्ठता प्रभावित हुई। इसके साथ ही, उन्हें संबंधित लाभ जैसे कि काल्पनिक वेतन निर्धारण और पदोन्नति भी प्रदान की जाएगी, जहाँ भी यह वर्तमान भर्ती नियमों और लागू प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय है। हालांकि, ऐसे कर्मचारियों/उम्मीदवारों को वेतन या भत्तों की किसी भी बकाया राशि का अधिकार नहीं होगा।

With reference to the subject cited above, I am directed to convey that the Competent Authority has accorded the approval for the grant of *notional seniority* to the concerned officials/candidates whose results were withheld by the Staff Selection Commission and subsequently released in later period leading to loss of seniority in the department, along with *consequential benefits* such as notional fixation of pay and promotion, wherever admissible under the prevailing Recruitment Rules and applicable provisions. However, such officials/candidates shall not be entitled to any arrears of pay or allowances.

2. यह लाभ उन कर्मचारियों/अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयकर विभाग में सेवा में नियुक्ति में विलंब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा परिणामों को रोके जाने के कारण हुआ हो, बशर्ते कि उक्त विलंब संबंधित व्यक्तियों के कारण न हुआ हो। काल्पनिक वरिष्ठता एवं संबंधित लाभ उनके बैचमेट्स के समकक्ष, कर्मचारी चयन आयोग की संबंधित परीक्षाओं में उनकी मेरिट स्थिति के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2. This benefit shall be extended to those officials/candidates whose delay in joining the Income-tax Department occurred due to withholding of examination results by the Staff Selection Commission, provided that such delay is not attributable to the individuals concerned. The notional seniority and associated benefits shall be granted at par with their batchmates, in accordance with their merit position in the respective Staff Selection Commission Examinations.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Smita Verma/स्मिता वर्मा)

अपर आयकर निदेशक (मा.सं.वि.) (सी. एम. डी.-1)

Addl. Director of Income Tax (HRD) (CMD-1)

Copy to: - All Pr.CCIT (CCAs) for information and compliance.

अपर आयकर निदेशक (मा.सं.वि.) (सी. एम. डी.-1)

Addl. Director of Income Tax (HRD) (CMD-1)